



Coordination Department

# नेशनल एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल एसोसिएशन NATIONAL ALLIED AND HEALTHCARE PROFESSIONAL ASSOCIATION

प्रशासनिक कार्यालय:- द्वितीय तल, सुनील कॉम्प्लेक्स, डबल्यू०के० रोड मेरठ-250002

कैंप कार्यालय:- चतुर्थ तल, प्राइम प्लाजा, इन्दिरा नगर, लखनऊ- 226016

मुख्य कार्यालय:- जे जे बलस्टर कॉलोनी, पीरागढ़ी, नई दिल्ली 110022

वेबसाइट / [www.nahpa.in](http://www.nahpa.in) संपर्क सूत्र / 0121-4349311, 7078033743

\*\*\*\*\*

Ref No. 8380 / 07 / CD / 2026 / एक / 2

Dated:- 05 / 10 / 2026

## आदेश पत्र

सेवा में,

समस्त राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं जिला स्तर के  
मनोनीत/निर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य,  
नेशनल अलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन  
(NAHPA), भारत।

विषय:- देश के समस्त स्वास्थ्य संवर्गों (नर्सिंग, अलाइड हेल्थकेयर, फार्मासिस्ट, आयुष, प्राथमिक उपचार केन्द्रों, पैरामेडिक्स व फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स आदि) की सुरक्षा हेतु "राष्ट्रीय हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट" लागू कराने के संयुक्त संकल्प के साथ तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में 18 अप्रैल 2027 को आयोजित होने वाले एक-दिवसीय "राष्ट्रीय स्वास्थ्य महाकुंभ-2027" को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाने, 5,000 बहु-संवर्गीय सहभागिता एवं 6-मासिक रोडमैप के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश:-

नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन की राष्ट्रीय शासी परिषद द्वारा यह ऐतिहासिक एवं सर्व-समावेशी निर्णय लिया गया है कि देश की संपूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली के सुदृढीकरण तथा चिकित्सा क्षेत्र के प्रत्येक स्तंभ-चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, अलाइड हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स, फार्मासिस्ट्स, आयुष प्रोफेशनल्स, लैब व डायग्नोस्टिक विशेषज्ञ, पैरामेडिक्स एवं समस्त फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों के सम्मान, सुरक्षा, कार्यस्थल पर हिंसा से पूर्ण कानूनी संरक्षण तथा सेवा-अधिकारों की रक्षा हेतु संपूर्ण राष्ट्र में एक सख्त व केंद्रीय "राष्ट्रीय हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट" लागू कराना इस महाकुंभ का सर्वोपरि राष्ट्रीय एजेंडा होगा।

आगामी 18 अप्रैल 2027 (रविवार) को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भव्य एक-दिवसीय "राष्ट्रीय स्वास्थ्य महाकुंभ-2027" को देश के समस्त स्वास्थ्य संवर्गों एवं आम नागरिकों के ऐतिहासिक संयुक्त महा-मंच के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 5,000 बहु-संवर्गीय स्वास्थ्य विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, छात्रों व आमजन की अभूतपूर्व सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु समस्त पदाधिकारियों के लिए निम्नलिखित दायित्व, 6-मासिक रोडमैप एवं मुख्य आकर्षण तत्काल प्रभाव से लागू किए जाते हैं:-

### 1. समस्त स्वास्थ्य संवर्गों की एकजुटता एवं प्रोटेक्शन एक्ट हेतु पदाधिकारियों के दायित्व

• प्रांतीय/राज्य अध्यक्ष एवं महासचिव:- राज्य स्तर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नर्सिंग कॉन्सिल्स, फार्मसी एसोसिएशनों, अलाइड हेल्थ संघों एवं आयुष संगठनों के साथ संयुक्त समन्वय बैठकें करें तथा प्रत्येक राज्य से डॉक्टर्स, नर्सज, अलाइड प्रोफेशनल्स, फार्मासिस्ट्स व पैरामेडिक्स का 250-300 सदस्यीय संयुक्त प्रतिनिधि दल दिल्ली उपस्थिति सुनिश्चित कराएं।

• जिला समन्वयक एवं आंचलिक प्रमुख:- जिला स्तर पर सरकारी व निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स एवं डायग्नोस्टिक सेंटर्स के सभी संवर्गों के स्वास्थ्यकर्मियों को जोड़कर संयुक्त सुरक्षा संकल्प सभाएं करें, स्थानीय सांसदों को हेल्थकेयर प्रोटेक्शन एक्ट का सर्व-संवर्गीय ज्ञापन सौंपें तथा तालकटोरा स्टेडियम हेतु सामूहिक यात्रा समन्वय करें।

• मेडिकल, नर्सिंग, फार्मसी एवं अलाइड शिक्षण संस्थान समन्वय प्रकोष्ठ:- देश के 200 मेडिकल कॉलेजों, नर्सिंग कॉलेजों, फार्मसी व पैरामेडिकल संस्थानों में सुरक्षित



स्वास्थ्यकर्मी –स्वस्थ भारत विशेष अभियान चलाकर 2,000 एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, बी.फार्मा, बीपीटी, बीएमएलटी व पैरामेडिकल छात्रों/इंटर्नस का पंजीकरण कराएं।

• **विधिक एवं राष्ट्रीय नीति निर्माण प्रकोष्ठ:**— राष्ट्रीय महाकुंभ के मंच से केंद्र सरकार को प्रस्तुत किए जाने वाले राष्ट्रीय हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट-संयुक्त श्वेत-पत्र व ड्राफ्ट बिल को तैयार करें, जिसमें सभी स्वास्थ्य संवर्गों की कार्यस्थल सुरक्षा व कानूनी अधिकार शामिल हों।

• **मीडिया, प्रचार एवं आमजन संवाद प्रकोष्ठ:**— सभी स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा-देश की सुरक्षा विषय पर राष्ट्रव्यापी डिजिटल हस्ताक्षर अभियान, मीडिया कवरेज एवं जन-स्वास्थ्य जागरूकता अभियान संचालित करें।

## 2. सर्व-स्वास्थ्यकर्मी एकजुटता व 5,000 सहभागिता हेतु 6-मासिक रोडमैप

| माह / समय    | मुख्य चरण व संयुक्त लक्ष्य           | सर्व-संवर्गीय अभियान व रणनीतिक गतिविधियां (सभी प्रोफेशनल्स हेतु)                                                                                                         | संचयी लक्ष्य                     |
|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| अक्टूबर 2026 | सर्व-संवर्गीय राष्ट्रीय शुभारंभ      | आधिकारिक संयुक्त आदेश जारीय हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट मसौदा विमोचनय केंद्रीय पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभय डॉक्टर्स, नर्सिंग, अलाइड, फार्मसी संयुक्त समिति गठन। | 100: संगठनात्मक इकाइयां          |
| नवंबर 2026   | मेडिकल व हेल्थकेयर कैंपस महा-अभियान  | 200 मेडिकल, नर्सिंग, फार्मसी, अलाइड व आयुष कॉलेजों में हेल्थकेयर सुरक्षा संवाद 150 कैंपस एम्बेसडर नियुक्तय संयुक्त छात्र पंजीकरण।                                        | 1,200 छात्र, शिक्षक व रेजिडेंट्स |
| दिसंबर 2026  | हॉस्पिटल चेन व जन-स्वास्थ्य संपर्क   | सरकारी व निजी अस्पताल संघों (डॉक्टर्स, नर्सज, फार्मासिस्ट, अलाइड) से एमओयूय आमजन हेतु विशाल निशुल्क मल्टी-स्पेशियलिटी जन-स्वास्थ्य कैंप की घोषणा।                        | 2,200 संयुक्त प्रतिनिधि          |
| जनवरी 2027   | सांसद ज्ञापन व राष्ट्रीय एक्सपो      | देशभर के सांसदों को सर्व-स्वास्थ्यकर्मी प्रोटेक्शन एक्ट ज्ञापन, फार्मा व मेडिकल उपकरण एक्सपो स्टॉल आवंटनय राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा गौरव पुरस्कार नामांकन।                | 3,400 संयुक्त प्रतिनिधि          |
| फरवरी 2027   | राष्ट्रीय प्रेस वार्ता व जन-जागरूकता | नई दिल्ली में सभी स्वास्थ्य एसोसिएशनों की संयुक्त प्रेस वार्ता, सुरक्षित डॉक्टर, सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी –सुरक्षित भारत डिजिटल महा-अभियान।                               | 4,400 प्रतिनिधि                  |
| मार्च 2027   | अंतिम महाकुंभ तैयारी व वीआईपी समन्वय | तालकटोरा स्टेडियम स्थल निरीक्षण, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, आयोग अध्यक्षों व चिकित्सा प्रमुखों को मुख्य आमंत्रण, 5,000 डेलिगेट पास जारी।                                 | 5,000 पुष्ट लक्ष्य               |



### 3. कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण एवं सर्व-स्वास्थ्यकर्मी प्रोटेक्शन एक्ट का मुख्य एजेंडा

1. राष्ट्रीय हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट संयुक्त ड्राफ्ट बिल की प्रस्तुतिरु देश भर के डॉक्टर्स, नर्सज, अलाइड प्रोफेशनल्स, फार्मासिस्ट्स व पैरामेडिक्स पर कार्यस्थल हिंसा रोकने, गैर-जमानती दंडात्मक प्रावधानों व सेवा-सुरक्षा हेतु केंद्र सरकार को ऐतिहासिक मांग-पत्र की प्रस्तुति।
2. केंद्रीय मंत्रियों एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-निर्माताओं के साथ शीर्ष राष्ट्रीय कॉन्क्लेव केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय नर्सिंग परिषद, राष्ट्रीय अलाइड आयोग एवं फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया के शीर्ष नेतृत्व के साथ विशेष विचार-विमर्श सत्र।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा गौरव पुरस्कार 2027 देश भर के 600 उत्कृष्ट चिकित्सकों, नर्सिंग ऑफिसर्स, अलाइड प्रोफेशनल्स, फार्मासिस्ट्स एवं पैरामेडिक्स को उनके विशिष्ट योगदान हेतु राष्ट्रीय मंच पर भव्य सम्मान।
4. भव्य सांस्कृतिक संध्या एवं स्वास्थ्य सुरक्षा नुक्कड़ नाटक चिकित्सा बिरादरी के संघर्ष व सेवा को समर्पित प्रेरणादायक प्रस्तुतियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विख्यात कलाकारों की उपस्थिति।



अभिषेक गिरि / Abhishek Giri  
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष / National Vice President  
नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल एसोसिएशन  
National Allied and Healthcare Professional Association  
Former Name : Indian Paramedical Association  
एडवोकेट अभिषेक गिरि  
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष / मुख्य संयोजक  
राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद  
नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल  
एसोसिएशन

Ref No. 8380 / 07 / CD / 2026 / एक / 2

Dated:— 05 / 10 / 2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियान्वयन हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, राष्ट्रीय अध्यक्ष को मा० अध्यक्ष जी के सादर सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक, राष्ट्रीय महासचिव को महासचिव जी के सादर सूचनार्थ।
3. समस्त प्रांतीय / राज्य अध्यक्ष एवं महासचिव, को आवश्यक अनुपालनार्थ।
4. समस्त निदेशक / प्राचार्य, मेडिकल एवं पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान, भारत।
5. प्रभारी-केंद्रीय पंजीकरण एवं समन्वय समिति (महासम्मेलन प्रकोष्ठ)।
6. प्रभारी-मीडिया, जनसम्पर्क विभाग एवं आधिकारिक वेबसाइट / प्रचार पटल।
7. आधिकारिक अभिलेख / मास्टर फाइल।

एडवोकेट अभिषेक गिरि  
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष / मुख्य संयोजक  
राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद  
नेशनल एलाइड एंड हेल्थकेयर प्रोफेशनल  
एसोसिएशन